विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं-4 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>*4 (क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा के अनुज्ञप्ति धारी आवंटन की वर्तमान नीति क्या है?</td><td>आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अनुसार वर्तमान में देशी शराब व विदेशी मदिरा दुकानों का आवंटन ई-लाटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर ई-लाटरी द्वारा किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>(ख) देशी मदिरा और विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्ति धारी बनने के लिए आवेदन करने वालों के लिए क्या पूरे प्रदेश में एक समान आवेदन शुल्क लिया जाता है?</td><td>देशी शराब और विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्ति धारी बनने के लिए आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क मदिरा दुकानों की प्रास्थिति यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार पृथक-पृथक निर्धारित है।</td></tr>
<tr><td>(ग) यदि हॉ, तो अलग-अलग वर्ग में कितना और इसके क्या नियम है?</td><td>आवेदन शुल्क का वर्गवार विवरण निम्नवत् है:-
<table>
<tr><th rowspan="2">फुटकर दुकान का प्रकार</th><th colspan="5">आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>जनपद गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-1)</td><td>श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2)</td><td>नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3)</td><td>नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-4)</td><td>ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-5)</td></tr>
<tr><td>**देशी मदिरा**</td><td>₹65,000</td><td>₹60,000</td><td>₹50,000</td><td>₹45,000</td><td>₹40,000</td></tr>
<tr><td>**कम्पोजिट दुकान**</td><td>₹90,000</td><td>₹85,000</td><td>₹75,000</td><td>₹65,000</td><td>₹55,000</td></tr>
<tr><td>**मॉडल शॉप**</td><td>₹1,00,000</td><td>₹90,000</td><td>₹80,000</td><td>₹70,000</td><td>₹60,000</td></tr>
<tr><td>**भांग**</td><td>₹25,000</td><td>₹25,000</td><td>₹25,000</td><td>₹25,000</td><td>₹25,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(घ) पिछलें तीन वर्षों में देशी और विदेशी मदिरा अनुज्ञप्ति धारी बनने के लिए आवेदन करने वालों से कितना राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ है?</td><td>पिछले तीन वर्षों में देशी और विदेशी मदिरा अनुज्ञप्ति धारी बनने के लिये आवेदन करने वालों से प्राप्त राजस्व का विवरण (करोड़ रू. में)
<table>
<tr><th>2021-22</th><th>2022-23</th><th>2023-24</th></tr>
<tr><td>123.09</td><td>146.39</td><td>146.33</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(ङ) क्या अनुज्ञप्तिधारी बनने से रह जाने वाले आवेदकों के आवेदन शुल्क को सरकार द्वारा वापिस कर दिया जाता है?	जी नहीं।
(च) जनपद सहारनपुर में पिछले तीन वर्ष में देशी और विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्ति धारी बनने के लिए कुल कितने लोगों ने आवेदन किया, तथा कितनों का आवंटन प्राप्त हुआ एवं कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ?	जनपद सहारनपुर में विगत 03 वर्षो (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में देशी शराब तथा विदेशी मदिरा दुकानों पर कुल 1462 आवेदन प्राप्त हुये, जिनसे प्रोसेसिंग फीस (आवेदन शुल्क) के रूप में कुल रू.5,04,95,000/- का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022-23 में कुल 266, वर्ष 2023-24 में कुल 266 एवं वर्ष 2024-25 में कुल 271 व्यक्तियों को देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का आवंटन हुआ है।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।